

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 241 / 2006

दर्ज दिनांक:-04.11.2006

1. चन्दनसिंह पता—प्रार्थी
बनाम
2. बालो पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
दुलीचंद शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-15.03.2019

वकील उभयपक्ष उप./ पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली दिनांक 12.08.2016 से प्रतिवादी मृतक बालो की फोती कार्यवाही में नियत है। वादी द्वारा 2 वर्ष से अधिक के समय के बाद भी फोती कार्यवाही नहीं की गई। फोती कार्यवाही हेतु तभी से निरन्तर अवसर दिये जा रहे हैं। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी 09-नि.5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते अक्षय गोदरा, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official